सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **27/2016** अपील (राजस्व)

श्रीमती कमला पुत्री चुन्नीलाल जी ब्राहम्ण, निवासी नाई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमती चुन्नीबाई पत्नी चुन्नीलाल जी ब्राहम्ण, निवासी 77 ताम्बावती मार्ग आयड़, मेन रोड, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भगवानलाल पिता चुन्नीलाल जी ब्राहम्ण, निवासी 77 ताम्बावती मार्ग आयड़, मेन रोड, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री ऊंकारलाल पिता चुन्नीलाल जी ब्राहम्ण, निवासी 77 ताम्बावती मार्ग आयड़, मेन रोड, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती शान्ताबाई पुत्री चुन्नीलाल जी पत्नी भेरूलाल जी ब्राहम्ण(दमावत) निवासी युनिवर्सिटी रोड, उदयपुर
5. श्रीमती मनोहरीबाई पुत्री चुन्नीलाल जी पत्नी मदनलाल जी ब्राहम्ण निवासी 598डी ब्लॉक, मालवीय नगर जयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गिर्वा, दिनांक 20.01.1988
नामान्तरकरण नम्बर 29 तारीख फैसल 20.01.1988
अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थित : 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः— 16.09.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आयड तहसील गिर्वा में स्थित आराजी नं0 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 कुल किता 17 रकबा 2.4100 है. भूमि स्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार

खेमराज, चुन्नीलाल पिता अम्बालाल जी ब्राहम्ण थे यानि खेमराज का 1/2 हिस्सा व चुन्नीलाल का 1/2 हिस्सा था। चुन्नीलाल के स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 के अलावा अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 भी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व सूचना दिये बिना रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 ने पटवारी हल्का से मिलकर चुन्नीलाल के बजाय उक्त जमीन का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 ने अपने नाम करवा लिया जबकि चुन्नीलाल की स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 भी उक्त जमीन के वारिसान के हिसाब से मालिक काबिज होकर कानूनी खातेदार काश्तकार है। जिन्हे बिना सुने ही रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 ने अपने नाम पर पटवारी हल्का से चुपके–चुपके नामान्तकरण खुलवाकर स्वीकृत करवा लिया। भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा ली। जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 प्रथम श्रेणी के वारिसान है। जिसके अनुसार सभी के नाम नामान्तकरण खोल कर स्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस बात का ज्ञान अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 22.02.16 को हुआ जब पटवारी हल्का से उक्त जमीन के खाते की नकल लेने गये तो पटवारी साहब ने बताया कि यह जमीन तो आपके खाते दर्ज नहीं हुई है। म्यूटेशन सं.29 से रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 के नाम ही दर्ज हुई हैं । उसी समय म्यूटेशन की नकल लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया तथा नकल दिनांक 25.02.16 को प्राप्त हुई तथा अपीलान्ट दिनांक 20.03.16 से टाईफाइड व पिलिया की बिमारी से ग्रसित हो जाने से अपील पेश नहीं की गई तथा दिनांक 08.04.16 को उसकी कुछ तबीयत ठीक होने पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसे स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं. 29 दिनांक 20.01.1988 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण चुन्नीलाल जी के समस्त वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस के नाम पर स्वीकृत फरमाया जावें। नामान्तरकरण सं. 29 के आदेश की पालना में अन्य कोई नामान्तकरण खुले हुये हो तो उसे भी निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र मयाद कण्डोन कराये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 22.02.16 को प्रथम बार हुई। जब पटवारी हल्का से उक्त जमीन के खाते की नकल लेने गये तो पटवारी साहब ने बताया कि यह जमीन तो आपके खाते दर्ज नहीं हुई है। उसी समय म्यूटेशन की नकल लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया तथा नकल दिनांक 25.02.16 को प्राप्त हुई। प्रार्थी अपील पेश करने वाली ही थी कि दिनांक 20.03.16 से टाईफाइड व पिलिया की बिमारी से ग्रसित हो जाने से अपील पेश नहीं की गई। न्यायहित में दिनांक 20.01.1988 से दिनांक 25.02.2016 तक का समय कण्डोन कराया जाना आवश्यक है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 तक की तामीले जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से करवायी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 व 5 के मूल ही लिफाफे इस आशय के प्राप्त हुये कि उनके द्वारा लेने से इन्कार किये जाने से उनकी तामील मानी जाकर उनके विरूद्ध दिनांक 02.09.19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट सं. 4 शान्ता बाई स्वयं दिनांक 08.07.19 को न्यायालय में उपस्थित। जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपील अपीलान्ट को इकबालिया स्वीकार की गई।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया। जिनके द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा आयड तहसील गिर्वा में स्थित आराजी नं0 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 कुल किता 17 रकबा 2.4100 है. भूमि के खातेदार काश्तकार खेमराज, चुन्नीलाल पिता अम्बालाल जी ब्राहम्ण थे। स्वर्गीय चुन्नीलाल जी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा नियत था। चुन्नीलाल जी के स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 के अलावा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 भी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीालन्ट को सुने बिना व सूचना दिये बिना रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 के पक्ष

में नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया। जबकि वारिसान के हिसाब से उक्त जमीन पर अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 भी काबिज होकर कानूनी खातेदार काश्तकार है। परन्तु कथित जमीन को चुन्नीलाल जी स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 को नोटिस दिये बिना एवं उन्हे सुने बिना रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा कथित जमीन का नामान्तरकरण अपीलान्ट व सभी रेस्पोडेन्ट के नाम बराबर हक से खोला जाकर स्वीकृत किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 के नाम ही स्वीकृत किया गया। अतः अब भी अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर स्वर्गीय चुन्नीलाल जी के सभी वैध वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। अपनी बहस की ताईद में आर.बी.जे. 2009 पेज–204, आर.आर.टी.2002 पेज–257, आर.बी.जे. 2006 पेज–1, आर.आर.डी.2004 पेज–725, आर.बी.जे. 1998 पेज–380, आर.आर.डी. 1994 पेज–308, आर.आर.डी. 1995 पेज–567, आर. आर.डी. 1995 पेज–555, आर.बी.जे. 1997 पेज–466, आर.बी.जे. 1997 पेज–595, आर.बी.जे. 1997 पेज–257, आर.बी.जे. 1997 पेज–182 नजीरे प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि ऐसे आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है जिस पर बिना नोटिस दिये गये कोई आदेश पारित कर दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय नामान्तरकरण पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारानों को कभी कोई नोटिस नहीं देकर उनकी अनुपस्थिति में ही नामान्तकरण पारित कर दिया गया। अतः अपीलार्थी का धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।

हस्तगत पत्रावली पर उपरोक्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि स्वर्गीय चुन्नीलाल जी के वैध वारिसानों में रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 के अलावा भी अपीालन्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 भी थे। चुन्नीलाल जी की मृत्यु के पश्चात खोले गये अपीलीय नामान्तरकरण में मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,3 का ही नाम अंकित कर फैसल कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं किया गया है। विरासत का नामान्तकरण स्वीकार करते समय अधीनस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसो की सही जांच कर नामान्तकरण फैसल करते । अपीलान्ट श्रीमती कमला स्वर्गीय चुन्नीलाल की विधिक वारिसान है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र श्रीमती चुन्नीबाई, श्री भगवान लाल, श्री औकारलाल के नाम ही नामान्तकरण दर्ज कर फैसल किया गया है, जो कानूनी रूप से गलत है।

अतः अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं. 29 दिनांक 20.01.1988 ग्राम आयड तहसील गिर्वा का निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इस आशय के निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व.चुन्नीलाल पिता अम्बालाल जी ब्राहम्ण निवासी आयड़ के सही विधिक वारिसानों की जांच कर बाद पहचान नये सिरे से पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर